नम्बर व तारीख
काम जो इस हुक्म
तामील में जारी हुये

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– अरविन्द कुमार जाखड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः अपील/10/2016

दायर दिनांकः 10.02.2016

1. कलवन्त कौर पुत्री मुख्त्यार सिंह जाति जटसिख निवासी 1 यूडीएम तहसील अनूपगढ़
2. गुरविन्द्र कौर पुत्री मुख्त्यार सिंह जाति जटसिख निवासी 1 यूडीएम तहसील अनूपगढ़
3. सर्वजीत कौर पुत्री मुख्त्यार सिंह जाति जटसिख निवासी 1 यूडीएम तहसील अनूपगढ़

(अपीलांटस)

बनाम

1. मुख्त्यार सिंह पुत्र सुरजन सिंह जाति जटसिख निवासी चक 1 यूडीएम तहसील अनूपगढ़
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व अनूपगढ

(रेस्पोडेंट्स)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री शैलेन्द्र कामरा अधिवक्ता अपीलांट
2. पैरोकार राज

:: निर्णय ::

दिनांकः– 08.7.2022

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि अपीलांटस की माता गुरमीत कौर के नाम से संयुक्त खाता की कृषि भूमि वाके चक 56 जीबीए तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा न. 23 पत्थर संख्या 226/461 की 3.087 एवं मुरब्बा न. 24 पत्थर न. 226/462 की 3.087 है0 कुल 6.125 है0 भूमि 0.438 है0 नहरी खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड थी अपीलांट्स की माता गुरमीत कौर की मृत्यु दिनांक 25.11.1999 को हो चुकी है। जिसके देहान्त उपरांत उसकी विधिक वारिसान उसकी तीनों पुत्रियां अपीलांटस है। रेस्पोडेंट संख्या 1 मृतक का पति है। जिसका उक्त अपीलाधीन भूमि में कोई हित निहित नहीं है। उक्त कृषि भूमि अपीलांटस को अपनी माता मृतक गुरमीत कौर से विरास्तन प्राप्त हुई है। जैर अपील भूमि विरास्तन इंतकाल दर्ज करने हेतु दिनांक 13.5.2015 को अपीलांटगण द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा पति को वारिस की श्रेणी में शामिल किया जाने बाबत मार्गदर्शन चाहा गया। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो की अवहेलना करते हुए अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर तौर पर आलौच्य इंतकाल संख्या 274 दिनांक 19.05.2015 स्वीकृत किया गया जो विधि विरूद्व होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 19.5.2015 खारिज किया जावे।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया जाकर शामिल मिसल किया गया गया। रेस्पोडेंटस को जरिये रजिस्टर्ड ऐडी सम्मन तलब किया गया। परन्तु रेस्पोडेंट संख्या 01 के हाजिर नहीं आने पर आदेशिका दिनांक 04.01.2018 को उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र कामरा हाजिर आये तथा रेस्पोडेंट संख्या 02 की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हुये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।
3. सर्वप्रथम हम धारा 5 के प्रार्थना पत्र का निर्णय करना उचित समझते है। धारा 5 मियाद के प्रार्थना पत्र बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 13.5.2015 को प्रस्तुत किया गया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार अनूपगढ़ से मार्गदर्शन चाहा गया अपीलांट को हल्का पटवारी ने बताया कि उक्त मार्गदर्शन के संबंध मे जैसे ही कोई आदेश होगें आपको सुनकर कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। अपीलांटस पटवारी की सूचना के इंतजार में रही। अपीलांट को दिनांक 23.01.2016 को पटवारी से सम्पर्क करने पर आलौच्य आदेश दिनांक 19.5.2015 की जानकारी हुई। जानकारी की दिनांक से बिना किसी देरी के अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलांट द्वारा जान बूझ कर अपील देरी से पेश नही की गई है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील पेश करने में हुई देरी को माफ कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2022.01.03 14:40:00 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुना जाना भी प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अपीलांट ने देरी का जो कारण बताया है वह उचित व संतोषजनक प्रतीत होता है, जिसका पैरोकार राज ने कोई जवाब पेश किया तथा ना ही दौराने बहस कोई मौखिक आपत्ति जाहिर की तथा ना ही कोई प्रतिशपथ पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। इसलिए हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

5. प्रकरण में गुणावगुण पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने दौराने बहस अपील मीमों के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांटस की माता गुरमीत कौर के नाम से संयुक्त खाता की कृषि भूमि वाके चक 56 जीबीए तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा न. 23 पत्थर संख्या 226/461 की 3.087 एवं मुरब्बा न. 24 पत्थर न. 226/462 की 3.087 है0 कुल 6.125 है0 भूमि 0.438 है0 नहरी खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड थी अपीलांट्स की माता गुरमीत कौर की मृत्यु दिनांक 25.11.1999 को हो चुकी है। जिसके देहान्त उपरांत उसकी विधिक वारिसान उसकी तीनों पुत्रियां अपीलांटस है। रेस्पोडेंट संख्या 1 मृतक का पति है, जिसका उक्त अपीलाधीन भूमि में कोई हित निहित नहीं है। उक्त कृषि भूमि अपीलांटस को अपनी माता मृतक गुरमीत कौर से विरास्तन प्राप्त हुई है। जैर अपील भूमि विरास्तन इंतकाल दर्ज करने हेतु दिनांक 13.5.2015 को अपीलांटगण द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा पति को वारिस की श्रेणी में शामिल किया जाने बाबत मार्गदर्शन चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर, भू राजस्व अधिनियम, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत अपीलांटस को सुनवाई समुचित अवसर नहीं दिया गया और एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया। अपीलाधीन भूमि मृतक गुरमीत कौर यानि अपीलांट की माता को अपने पीहर पक्ष से अर्थात गुरमीत कौर को अपने मृतक पिता के विरास्तन अधिकार के तहत प्राप्त हुई थी जिसमें रेस्पोडेंट संख्या 1 जो मृतक गुरमीत कौर का पति है का अपीलाधीन भूमि में कोई हित निहित नहीं बनता है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मृतक पत्नी को पीहर पक्ष से प्राप्त होने वाली सम्पति में मृतक पत्नी के पति का कोई हित व हिस्सा नहीं बनता ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत व इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को नजरअंदाज कर आलौच्य आदेश पारित किया जो खारिज किया जावे।

6. पैरोकार राज ने दौराने बहस निवेदन किया कि जैर अपील निर्णय नियमानुसार व पूर्ण विधिक प्रकिया अपनाते हुए तथा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए ही पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर गहनता से चिंतन मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत के वारिसनामा के आधार पर जैर अपील भूमि विरास्तन इंतकाल दर्ज किया है। अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना जैर अपील आदेश पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना कर आलौच्य आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) अनूपगढ़ का निर्णय दिनांक 19.5.2015 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आश्य के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए हिन्दू उपराधिकार अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Jakhar
Date: 2023.01.03 14:40:00 IST
Reason: SelfAttested

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर)